न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 282/2025

नेतराम पुत्र मालाराम, जाति जाट, पेशा खेती, निवासी ग्राम हेमन्तपुरा, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज.)

——रेस्पोडेन्ट

———

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 18.08.2025 न्यायालय तहसीलदार, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम नेतराम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 143/2025

———

उपस्थित :—

1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नं. 864 किस्म बंजड 2 रकबा 4.47 है0 व खसरा नं. 528 रकबा 82.24 किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड से 1.80 है0 भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व 600 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया था जिसके विरुद्ध में अपीलान्ट ये अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एंव पत्रावली है। उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 25/2025 दर्ज हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई। जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्ट ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्ट उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्ट की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 18.08.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नं. से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात खसरा न. 864 किस्म बंजड़ 2 व खसरा न. 528 किस्म गैर मुमकिन नदी है जिन पर अपीलान्ट का कदीमी व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्ट के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मस खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी योग्य अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम नेतराम किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 143/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 25/2025 दर्ज हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई। जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्ट ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्ट उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत

जिला कलक्टर झुंझुनूं

की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्ट की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 18.08.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नं. से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जज़मेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात खसरा न. 864 किस्म बंजड़ 2 व खसरा न. 528 किस्म गैर मुमकिन नदी है जिन पर अपीलान्ट का कदीमी व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्ट के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मस खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी योग्य अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम नेतराम किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 143/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम खटकड़ स्थित भूमि ख0न0 864 रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बंजड2, खसरा नम्बर 528 रकबा 82.24 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 1.80 हैक्टर भूमि पर फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम खटकड़ स्थित भूमि ख0न0 864 रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बंजड2, खसरा नम्बर 528 रकबा 82.24 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 1.80 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनकर मैरिट पर निर्णय किया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी है, जिसकी नियमन की सिफारिश करना विधि अनूकूल नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं